

### सूचना

गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 के आलोक में जनसेवक के रिक्त पदों के विरुद्ध सेवानिवृत्त जनसेवक का संविदा आधारित नियोजन की सूचना।

गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के योजनाओं को किसानों तक पहुँचाने के लिए जनसेवक को संविदा के आधार पर नियोजित किया जाना आवश्यक है। अतएव ऐसे योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है जिन्हें विभाग एवं किसानों के संबंध में समुचित जानकारी हो एवं क्षेत्रीय कार्य करने के लिए इच्छुक हो तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।

अतएव गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 के आलोक में जनसेवक के कुल रिक्त 180 (एक सौ अस्सी) पदों पर जनसेवक के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु इच्छुक व्यक्ति विभागीय पोर्टल [ccs.bihar.gov.in](http://ccs.bihar.gov.in) पर दिनांक-29.01.2025 से दिनांक-17.02.2025 के अपराह्न 05:00 बजे तक विहित प्रपत्र में (अनुलग्नक सहित) आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत् है:-

क्र०	पदनाम	कोटिवार	महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण के अनुमान्य पद	अहर्ता	मासिक मानदेय	
1	2	3	4	5	6	7
1	जनसेवक	अनारक्षित	73	26	बिहार राज्य के	सेवानिवृत्त
2		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	18	06	अधीन कृषि विभाग, गन्ना उद्योग विभाग,	(रिटायर्ड) जनसेवक को
3		अनुसूचित जाती	29	10	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,	मानदेय के रूप में उनका अंतिम प्राप्त वेतन में से
4		अनुसूचित जनजाती	02	0	पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं अन्य विभाग से सेवानिवृत्त जनसेवक।	पेंशन की राशि घटाकर शेषराशि देय होगा।
5		अत्यंत पिछड़ा वर्ग	33	12		
6		पिछड़ा वर्ग	20	07		
7		पिछड़े वर्गों की महिला	05	-		
कुल योग :-			180	61		180

नोट :-

- i. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-2622 दिनांक 26.02.2019 के आलोक में अनारक्षित वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थी पर विचार किया जायेगा।
- ii. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के आलोक में दृष्टि बाधित दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को 02 पद, मूक बधिर दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को 02 पद, चलन दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को 02 (दो) पद एवं मनोविकार दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को 01 पद अर्थात् कुल 07 (सात) पद दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण के तहत देय होगा।
- iii. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-2526 दिनांक-18.02.2016 के आलोक में स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को क्षैतिज आरक्षण के तहत 04 (चार) पद देय होगा।


2. उपरोक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक-10.02.2025 के अपराह्न 05:00 बजे से पूर्व आवेदन समर्पित किया जायेगा, उन सभी अभ्यर्थियों का दिनांक-20.02.2025 से 21.02.2025 तक के पूर्वाह्न 10:00 बजे विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में वांछित कागजातों का सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों को नियोजन हेतु सूचीबद्ध किया जायेगा, उन अभ्यर्थियों को दिनांक-25.02.2025 के पूर्वाह्न 11:00 बजे से इच्छायुक्त, बिहार के कार्यालय कक्ष में साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के उपरांत चयनित सूची के आधार पर सुयोग्य कर्मियों को नियोजित किया जायेगा।

शर्तें :-

1. गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प जापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 के आलोक में जनसेवक के कुल-180 (एक सौ अस्सी) नियमित रिक्त पदों के विरुद्ध जनसेवक के पद को संविदा आधारित नियोजन किया जा रहा है। नियमित नियुक्ति होते ही इनकी संविदा नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगी।
2. संविदा के आधार पर नियोजन प्रथमतः 02 (दो) वर्ष अथवा 65 (पैंसठ) वर्ष की आयु पूरी होने (दोनों में जो पहले हो) तक के लिए किया जायेगा। संतोषप्रद सेवा की स्थिति में अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक के लिए एक-एक वर्ष की सेवा अवधि का विस्तार किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में 67 वर्ष तक सेवा अवधि बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।
3. आरक्षण कोटि के विरुद्ध आवेदन करने वाले को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।
6. वैसे अभ्यर्थी जिनपर कोई निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/गंभीर आरोप विचाराधीन/दण्ड अधिरोपित हो/आपराधिक मामला दर्ज हो, की सेवाएँ नहीं ली जाएँगी। अतएव संविदा पर नियोजन के लिए आवेदन समर्पित करते समय उक्त आशय का शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
7. पी०पी०ओ० की प्रति संलग्न करनी होगी। यदि पी०पी०ओ० उपलब्ध नहीं हो तो प्रशासी विभाग द्वारा निर्गत पें पेंशन/उपादान संबंधी स्वीकृत्यादेश की प्रति अभ्यर्थी संलग्न कर सकते हैं।
8. विज्ञापन एवं शर्तों से संबंधित किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। साथ ही नियोजन की प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।
9. विस्तृत जानकारी एवं आवेदन करने हेतु विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट-  
[www.state.bihar.gov.in/sugarcaneindustriesdepartment](http://www.state.bihar.gov.in/sugarcaneindustriesdepartment) के Notice Board पर उपलब्ध है।

अनुलग्नक :- विहित प्रपत्र में आवेदन।

  
ईखायुक्त,  
बिहार, पटना।